

सेवा में,

अपीलीय अधिकारी (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
जिला गौतमबुद्धनगर।

23019

1-4-22

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत अपील

श्रीमान जी,

प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.01.2022 को जन सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रतिलिपि साथ संलग्न है। प्रार्थी के उक्त प्रार्थना-पत्र पर जन सूचना अधिकारी ने सूचना पंजीकृत डॉक से प्रेषित की जो प्रार्थी को दिनांक 04.03.2022 को प्राप्त हुई। जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदत्त सूचना के विरुद्ध प्रार्थी प्रस्तुत अपील कर रहा है।

जन सूचना अधिकारी (सम्पत्ति) द्वारा प्रार्थी के आवेदन में चाही गयी सूचनाओं के सन्दर्भ में जानबूझकर अस्पष्ट, अपूर्ण व भ्रामक सूचना दी गयी हैं। जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदत्त सूचनाएं अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत एवं असंतोषजनक है। प्रदान सूचनाएं मय मय प्रतिलिपि लिफाफा साथ संलग्न है।

जन सूचना अधिकारी (सम्पत्ति) ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की राजभाषा हिन्दी में यह स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है कि बंधकी बैंक को बिड/निलामी से पूर्व प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है अथवा नहीं है। जन सूचना अधिकारी ने यह भी स्पष्ट सूचना प्रेषित नहीं की गयी है कि इस का कोई कार्यालय आदेश है अथवा नहीं है और यदि है तो वह लीजडीड की शर्तों पर किसी प्रकार प्रभावी है। जन सूचना अधिकारी ने यह भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है कि टी.एम. चार्ज लीजडीड की किस क्लॉज के अनुसार लिए जाते हैं। तथा बिन्दु संख्या 4 के सम्बन्ध में सूचना जो कि प्रोजेक्ट विभाग से सम्बन्धित है, के सम्बन्ध में कोई सूचना किसी भी प्रकार की नहीं दी है।

जनसूचना अधिकारी ने चाही गयी सभी सूचनाओं के सम्बन्ध में मात्र यह कहा है कि चाही गयी सूचना बिन्दू संख्या 1,2,3,4 लीजडीड की क्लॉज 5 के परन्तुक (जो कि प्रदत्त सूचना में अंग्रेजी में लिखा है) के अनुसार है।

उक्त परन्तुक में न तो बिड/निलामी हेतु किसी अनुमति के बारे में कोई सूचना है। न ही किसी कार्यालय आदेश के बारे में कोई सूचना है और ना ही प्राधिकरण द्वारा जारी प्रैस विज्ञापित के बारे में कोई सूचना है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि अपील स्वीकार कर प्रार्थी को चाही गयी सूचनाओं के सन्दर्भ में स्पष्ट एवं पूर्ण सूचनाएं प्रदान कराने की कृपा करे।

दिनांक:-01.04.2022

प्रार्थी
M. K. Sharma

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का आवेदन पत्र

रसीद संख्या: TRN8085016767
क्रम सं.-

आवेदन शुल्क: 10 रुपये
दिनांक: 17/01/2022

जन सूचना अधिकारी/
सहा0 जन सूचना अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
169, चितवन एस्टेट, सेक्टर-गामा,
ग्रेटर नोएडा-201308

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में संबंधित निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वांछित सूचना का विवरण (समस्त खण्ड भरना अनिवार्य है)

(क) वांछित सूचना का विषय एवं विवरण (ख) संबंधित सूचना की समयावधि

संलग्नक - (1)

| | | |
|----|--------|------|
| से | दिनांक | 2010 |
| से | दिनांक | 2021 |

(ग) क्या सूचना निम्न माध्यम से वांछित है:

| | |
|--|-----------|
| डाक से (डाक खर्च का भुगतान अलग से देय होगा) | व्यक्तिगत |
| <input type="checkbox"/> सामान्य <input checked="" type="checkbox"/> यंत्रिकृत <input type="checkbox"/> त्वरित डाक | व्यक्तिगत |

(घ) कृपया निम्न में से एक उपलब्ध कराएं

| | |
|--------------------|------------|
| पैन कार्ड संख्या | [REDACTED] |
| मतदान कार्ड संख्या | |
| पासपोर्ट संख्या | |
| राशन कार्ड संख्या | |

मैं एतद्वारा सूचित करता/करती हूँ कि मैं भारतीय नागरिक हूँ एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकृत हूँ। मैं भारतीय नागरिक होने के प्रमाण के रूप में पैन कार्ड/ मतदान कार्ड/ पासपोर्ट/ राशन कार्ड संलग्न कर रहा/रही हूँ। मैं प्राप्त सूचना का प्रयोग केवल व्यक्तिगत रूप में करूंगा/करूंगी। मैं वचन देता/देती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में प्राप्त सूचना का प्रयोग/हस्तांतरण/सम्मिलित/प्रदर्शन/वितरण जो कि देश हित में नहीं आता है, नहीं करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना/घोषणा गलत पाई गई, मैं इसका स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी एवं सूचना प्राप्त करने के अधिकार से वंचित हो जाऊंगा/जाऊंगी।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर: अजय

स्थान: Greater Noida

दिनांक: 17/01/2022

आवेदनकर्ता का पूरा नाम:

| | |
|------------------------|--|
| आवेदनकर्ता का पूरा नाम | <u>RAJAY KUMAR VERMA</u> |
| पता | |
| मकान/ब्लॉक संख्या | <u>101</u> |
| मोहल्ला/सेक्टर | <u>BLOCK-C, Ground Floor, OMICRON-01</u> |
| शहर एवं पिन कोड | <u>GREATER NOIDA</u> |
| दूरभाष | <u>N-9818509725</u> |
| संकेत | |

Handwritten notes:
Dumb
18/1/2022

सेवा में,

मुख्य कार्यापालक अधिकारी/जनसूचना अधिकारी

ग्रैटर नोएडा विकास प्राधिकरण

जिला गौतमबुद्धनगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन

महोदय,

आवेदक को निम्नलिखित सूचना प्रदान/प्रेषित करने की कृपा करें-

1. क्या प्राधिकरण की आवासीय सम्पत्ति प्लॉट/फलैट के पट्टाग्रहीता द्वारा पट्टाजनित सम्पत्ति के लोन की अदायगी न करने पर बंधकी बैंक या अन्य वितीय संस्था द्वारा बंधक ऋण के मोचन हेतु बंधक सम्पत्ति की बिड/निलामी (Auction), जो कि बैंक द्वारा उचित क्रेता प्राप्त करने की एक स्वतन्त्र प्रक्रिया है, के लिए प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है? यदि हां तो लीजडीड की किस क्लॉज के अनुसार।
2. यदि इस आशय का कि बंधकी बैंक को निलामी से पूर्व प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, कोई कार्यालय आदेश है तब ऐसे कार्यालय आदेश की विधिवत/सम्यक तामील सभी बंधकी बैंकों एवं वितीय संस्थाओं पर करायी गयी है अथवा नहीं और ऐसे किसी भी कार्यालय आदेश को लीजडीड में क्लॉज के रूप में समाविष्ट किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं तब ऐसे कार्यालय आदेश किस प्रकार बंधकी बैंक एवं वितीय संस्थाओं पर प्रभावी है। कृपया उक्त कार्यालय आदेश यदि कोई हो, की प्रतिलिपि प्रदान करायी जावे
3. प्राधिकरण द्वारा पट्टाजनित आवासीय सम्पत्ति की अन्तरण की अनुमति (TM) प्रदान करने हेतु लिए जाने वाले चार्ज लीजडीड की किस क्लॉज के अनुसार और किस दर से प्राप्त किए जाते हैं? अथवा मनमाने ढंग से प्राप्त किए जाते हैं?
4. क्या प्राधिकरण द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार योजना के सभी फलैट्स का माह वर्ष 2012 से भौतिक कब्जा प्रदान किया हुआ (कममउमक चवेमेपवद) माना जायेगा और प्राधिकरण आबंटी/पट्टाग्रहीता के फलैट में हुई किसी भी प्रकार की भौतिक क्षति की प्रतिपूर्ति एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी व जिम्मेदार होगा। प्रोजेक्ट विभाग से प्राप्त प्रैस विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है।


दिनांक:-

आवेदक

अजय वर्मा

एडवोकेट

पंजीकरण सं० 8275/2002,
चैम्बर नं०-399, सिविल कोर्ट,
जनपद गौतमबुद्धनगर



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पता: प्लॉट नं. 91-120-2326/34, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
फोन: 91-120-2326134, फैक्स: 91-120-2326140
वेबसाइट: www.greaternoidaauthority.org

प्रेस-विज्ञप्ति

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा सैक्टर न्यू-1, ओमीक्रोन-1, ओमीक्रोन-1ए, ओमीक्रोन-2, ओमीक्रोन-3, जू-1, जू-2, न्यू-1, न्यू-2 में निर्मित भवनों के जिन आवंटियों द्वारा निर्मित भवनों का कब्जा अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है उन आवंटियों का भौतिक कब्जा देने हेतु दिनांक 05.07.2014 एवं 06.07.2014 को सम्बन्धित सैक्टरों में स्थित स्थल कार्यालयों पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है।

कब्जा दिये जाने हेतु भवनों का पूर्ण विवरण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त सैक्टरों के आवंटियों से अनुरोध है कि उक्त तिथियों को उपरोक्त स्थान पर सम्बन्धित अधिकारी/अधिकारी से सम्पर्क कर अपने-अपने भवन का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लें। उक्त तिथि से आरम्भ कब्जा ना प्राप्त करने वाले आवंटियों का Deemed Possession मान लिया जायेगा तथा भवन में होने वाली चोरी, हट फूट की जवाबदारी प्राधिकरण की नहीं होगी।

गणतंत्र मुहूर्तकार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner



If not delivered please return to:
GREATER NOIDA
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुखण्ड संख्या-01, रोड नॉलेजपार्क-4, ग्रेटर नोएडा सिटी
गौतमबुद्ध नगर, 201310

पत्राक- सम्पत्ति/RTI/2022/417
615

दिनांक-25.02.2022

सेवा में,

SH..AJAY KUMAR VERMA
C-1S1, GROUND FLOOR,OMICRON-I
GREATER NOIDA,

विषय- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चाही गयी सूचना उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय/महोदया,

कृपया अपने पत्र दिनांक 18.11.2022 आर.टी.आई संख्या- 4678 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना चाही गयी है।

विन्दु संख्या -1,2,3,4 लीजडीड की उल्लिखित के क्लॉज 5-“Providing further that in the event of sale or for closure of the mortgage or charged property, the lessor shall be entitled to claim and recover such percentage, as decided by the lessor, of the unearned increased in value of said land as first charge, having priority over the said mortgage charge. The decision of the lessor in respect of the market value of the said land shall be final and binding on all the parties concerned.” के अनुसार है, की छायाप्रति आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित हैं।

प्रतिलिपि- 1. नॉडल अधिकारी सी0आर0सेल को आर0टी0आइ संख्या 4678
दिनांक 18.11.2022 आवेदन को इस विभाग से निक्षेपित कराने का कष्ट करें।

Signed by
Khan Basiभवदीय,
Manager
25/02/22 19:27:50

जन सूचना अधिकारी (सम्पत्ति)



If not delivered please return to:
GREATER NOIDA

That the Lessee shall follow the Maintenance clause of the Brochure and will keep the demised premises and the buildings at all times in a state of goods and substantial repairs and in a sanitary condition to the satisfaction of the Lessor.

That the Lessee shall not permit the demised and the superstructures standing thereon to be used for any purpose other than residential purpose. The Lessee, apart from the allotted flat, will not demand to utilize any other area (which is not allotted). Wherever, the permission of open space is given, the allottee shall not make any construction whether permanent or temporary.

5/ That the Lessee shall have no right to transfer in any manner whatsoever, the demised premises and the superstructure standing thereon without the previous permission, in writing of the Lessor but the Lessee may mortgage the demised premises after execution of lease deed and the superstructure standing thereon to any government financial institution or his/her employer. In the event of such mortgage the Lessor will have first charge in respect of any amount remaining unpaid in respect of the demised premises or the superstructure standing thereon. The Lessee may, with the previous consent of the lessor, mortgage the flat/house to any Government recognized institution for raising loan for the purpose of funding from the institution and subject to such terms and conditions as may be decided by the lessor at the time of granting the permission.

Providing further that in the event of sale or for closure of the mortgage or charged property, the lessor shall be entitled to claim and recover such percentage, as decided by the lessor, of the unearned increase in the value of said land as first charge, having priority over the said mortgage charge. The decision of the lessor in respect of the market value of the said land shall be final and binding on all parties concerned.

Provided further's that lessor shall have pre-emptive right to purchase the mortgage or charged property after deducting such percentage as decided by the lessor of the unearned increase as aforesaid.

The lessor's right to the recovery of the unearned increase and the pre-emptive right to purchase the property as mentioned herein before shall apply equally to involuntary sale or transfer, be it by or through execution of decree to insolvency/court. In the case of transfer in any manner except by operation of law, the Lessee shall have to pay the transfer charges as prescribed by the lessor from time to time with terms & conditions made applicable at the time of granting such permission.


6. That the Lessee shall not assign, relinquish or mortgage any/portion less than the whole of the demised premises and the superstructures standing thereon nor cause any sub division thereof by metes and bounds or otherwise.

7. The lessee shall not sell, transfer or assign the whole or part of the said Premises/Flat/House to any one except with the previous consent in writing of the lessor on such terms and conditions including the transfer charges/fee, as may be decided by the lessor, from time to time and shall have to follow the rules and regulations prescribed by the lessor in respect of lease-hold property.

8. That every transfer assignment relinquish or mortgage of the whole of the demised premises and superstructures standing thereon or both shall be subject to approval and the transfer shall be made only to the assignee.

Mona Kc

(3)





N



If not delivered please return to:
GREATER NOIDA

To: Noida NSH Hub
Del Pin: Noida 201301

EU683667927IN
Counter No: 4, 02/03/2022, 14:47
Amt: 17.70 (Cash) Wt: 12gms



From: KNOWLEDGE PARK SD (201310)
From: Noida NSH Hub

पत्रिका / B21507 / 615



28

Please return to:
GATEWAY Noida
INDUSTRIAL DEVELOPMENT
CORPORATION
OF U.P. Under



You are here Home >> Track Consignment

Track Consignment

* Indicates a required field.

Quick help

* Consignment Number

EU683667927IN

Track More

| Booked At | Booked On | Destination Pincode | Tariff | Article Type | Delivery Location | Delivery Confirmed On |
|--------------------|------------------------|---------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Knowledge ParkI SO | 02/03/2022 14:48:26 | 201310 | 17.70 | Inland Speed Post | Knowledge ParkI SO | 04/03/2022 12:51:32 |

Event Details For : EU683667927IN

Current Status : Item Delivery Confirmed

| Date | Time | Office | Event |
|------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 04/03/2022 | 12:51:32 | Sakipur BO | Item Delivery Confirmed |
| 03/03/2022 | 13:31:04 | Knowledge ParkI SO | Dispatched to BO |
| 03/03/2022 | 09:25:04 | Knowledge ParkI SO | Item Received |
| 02/03/2022 | 16:04:27 | Knowledge ParkI SO | Item Bagged |
| 02/03/2022 | 14:48:26 | Knowledge ParkI SO | Item Booked |

- Home
- About Us
- Forms
- Recruitments
- Holidays
- Feedback
- Right To Information

- Tenders India
- Related sites
- Website Policies
- Contact Us
- Employee Corner

सूचना प्राप्त कबन हेतु प्रत्येक आवेदन (2 वके)
प्रतिलिपि प्रैस विज्ञापि (1 वके)
जन् सूचना अधिकारी द्वारा चेसिन

अजय कुमार वर्मा

एडवोकेट